"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2012—श्रावण 18, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्रमांक 6643/डी. 175/21-अ/प्रारू./छ.ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-08-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. एल. चरयाणी**, अतिरिक्त सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2012)

## छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2012

**छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.** 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा 5 का संशोधन.** 2. (एक) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5 में, विद्यमान उप-धारा (18-क) को "(18-ख)" के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (18) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(18-क) "संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया नगरीय प्रशासन तथा विकास का संचालक;"

(तीन) धारा 5 की उप-धारा (19) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(19-क) "संभागीय आयुक्त" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संभागीय आयुक्त."

(चार) धारा 5 की उप-धारा (49) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(49-क) "पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर" से वही अभिप्रेत है जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) के अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में परिभाषित है;"

(पांच) धारा 5 की उप-धारा (54-क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(54-ख) "सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्रेत है ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जहां ऐसा पुनर्विलोकन संचालित किया जाना है, के भीतर निवास कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह या समूहों द्वारा, किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत की गई या कार्यान्वित की गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं या प्रक्रियाओं के प्रभाव का पुनर्विलोकन;"

(छः) धारा 5 की उप-धारा (57) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(57-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है धारा 132-क के अधीन निगम द्वारा प्रदत्त अथवा प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित सेवाओं के लिये अधिरोपित प्रभार;"

**धारा 19 का संशोधन.** 3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(अ-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, या;"

4. मूल अधिनियम की धारा 19-ख की उप-धारा (1) में शब्द "या उसके अधीन बनाये गयें नियमों के" के स्थान पर, शब्द "या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, या यदि यह पाया जाए कि महापौर उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था," प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 19-ख का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 25-ख में शब्द "पारिश्रमिक" के स्थान पर, शब्द "मानदेय" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 25-ख का संशोधन.

6. (एक) मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 29 का संशोधन.

"(2) धारा 18 तथा 23-क में निर्दिष्ट सम्मिलन के सिवाय प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा महापौर की सहमति से या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, महापौर द्वारा नियत की जाएगी:

परंतु यदि अध्यक्ष या महापौर, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सम्मिलन की तारीख नियत नहीं की जाती है, तो संभागीय आयुक्त, राज्य सरकार को सूचना के अधीन सम्मिलन की तारीख नियत करेगा."

(दो) धारा 29 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) बैठक हेतु कार्यसूची (एजेण्डा) तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए."

7. मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 53 का संशोधन.

"53. **सम्मिलन का कार्यवृत्त.**—

(1) निगम, मेयर-इन-काउंसिल या किसी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त, ऐसी रीति में अभिलिखित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए."

8. मूल अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (6) में जहां कहीं भी शब्द "राज्य लोक सेवा आयोग" आया हो, के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 60 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) में, शब्द "परिशिष्ट" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुसूची-एक" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 68 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 130-ख के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 130-ग का अंत:स्थापन.

"130-ग. **सामाजिक अंकेक्षण.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम ऐसी रीति में सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए."

11. मूल अधिनियम की धारा 132 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 132-क का अंत:स्थापन.

"132-क. **उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.**—

(1) धारा 132 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम किसी साधारण अथवा विशेष आदेश जो कि राज्य सरकार इस संबंध में जारी करे, के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में उल्लिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित दशाओं में उद्ग्रहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) जब वह सेवा वितरण में सुधार के लिये कोई नई प्रणाली या परियोजना प्रारंभ करे;

(ख) जब सेवा स्तर के आधार पर किसी सेवा का सुधार करे.

(2) उप-धारा (1) के अधीन उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिये उद्ग्रहित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) जलापूर्ति;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन निपटान और/या प्रसंस्करण;

(ग) घर द्वार के कूड़े (ठोस अपशिष्ट) का संग्रहण और/या नगरपालिक कूड़ा का वैज्ञानिक प्रणाली से निपटान;

(घ) निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य कोई नई सेवा.

(3) उपभोक्ता प्रभार, नगरपालिका क्षेत्र पर या निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये शहर के किसी विशिष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जहां उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सेवा प्रदान की जाती हो, उद्ग्रहित किया जा सकेगा."

धारा 134 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 134 के खण्ड (6) में शब्द "संपत्ति संबंधी देय किराये के आसेध" के पश्चात् शब्द "एवं/या उसकी चल/अचल संपत्ति के आसेध एवं/या विक्रय" जोड़ा जाए.

धारा 136 का संशोधन. 13. (एक) मूल अधिनियम की धारा 136 के खण्ड (बी) एवं परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(बी) कवेलू छत के समस्त कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग फुट से अधिक न हो, तथा ऐसी समस्त भूमि और भवन, जो शहरी गरीबों के हों या जिन पर उनका निवास हो, जिसे शासन द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से छूट दी जा सकेगी."

(दो) धारा 136 के खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(सी) भारत सरकार, राज्य शासन, नगर निगमों की शैक्षणिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं को सम्पूर्ण छूट प्राप्त होगी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को निगम द्वारा यथानिर्धारित सम्पत्ति कर के पचास प्रतिशत तक की छूट ऐसे मानदण्ड के अनुसार दी जा सकेगी जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

(तीन) धारा 136 के खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एफ) विधवा या नाबालिग अथवा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन नि:शक्त व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को विहित की गई सीमा तक."

(चार) धारा 136 के खण्ड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एच) नेत्रहीन व्यक्ति तथा परित्यक्त महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को विहित की गई सीमा तक."

(पांच) मूल अधिनियम की धारा 136 के खण्ड (जे) का लोप किया जाए.

धारा 137 का संशोधन. 14. मूल अधिनियम की धारा 137 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"137. **संपत्ति कर पर छूट.**—

(1) धारा 135 और 136 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम को संपत्ति कर से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे तथा राज्य सरकार, निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा विहित कर सकेगी."

धारा 138 का संशोधन. 15. (एक) मूल अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (1) में शब्द "यथास्थिति किसी भवन के निर्मित क्षेत्र या किसी भूमि के प्रतिवर्ग फुट के आधार पर" के स्थान पर, शब्द "यथास्थिति, किसी भवन या भूमि के निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) धारा 138 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) आयुक्त द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रारूप संकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर या इसके पूर्व तैयार किया जायेगा तथा प्रस्तुत किया जायेगा. उस दशा में जबकि निगम संकल्प को उस वित्तीय वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन तक अंगीकृत करने में विफल रहता है, तो संकल्प महापौर द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा इसे निगम द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा :

परंतु आयुक्त द्वारा तैयार किया गया प्रारूप संकल्प वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक यदि महापौर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो आयुक्त द्वारा तैयार किया गया प्रारूप संकल्प निगम द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा."

(तीन) धारा 138 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2-क) यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जायेगी."

(चार) धारा 138 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्नस्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारिति निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करे, तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहां अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा."

(पांच) धारा 138 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील मेयर-इन-काउंसिल में होगी :

परंतु इस उप-धारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो."

16. मूल अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (3) में शब्द "सौ रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 142 का संशोधन.**

17. मूल अधिनियम की धारा 165 की उप-धारा (2) में शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 165 का संशोधन.**

18. मूल अधिनियम की धारा 166 में शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 166 का संशोधन.**

19. मूल अधिनियम की धारा 199 की उप-धारा (2) में शब्द "पचास रुपये" एवं "पांच रुपये" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 199 का संशोधन.**

धारा 200 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम की धारा 200 में शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 201 का संशोधन. 21. मूल अधिनियम की धारा 201 में शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 236 का संशोधन. 22. मूल अधिनियम की धारा 236 की उप-धारा (2) में शब्द "पचास रुपये से अधिक का न हो" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 252 का संशोधन. 23. मूल अधिनियम की धारा 252 की उप-धारा (2) में शब्द "दो सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "दो हजार रुपये" एवं "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 257 का संशोधन. 24. मूल अधिनियम की धारा 257 की उप-धारा (5) में शब्द "पचास रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 258 का संशोधन. 25. मूल अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (4) में शब्द "दस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 272 का संशोधन. 26. मूल अधिनियम की धारा 272 के खण्ड (इ) में शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 294 का संशोधन. 27. मूल अधिनियम की धारा 294 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) इस धारा के अधीन आयुक्त की शक्तियां, इस प्रयोजन के लिये निगम से पंजीकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा, उनके लिये विहित की गई सीमा के भीतर, प्रयोग की जा सकेगी."

धारा 297 का संशोधन. 28. मूल अधिनियम की धारा 297 में, जहां कहीं भी शब्द "आयुक्त" आया हो, के पश्चात् शब्द तथा अल्पविराम "या, यथास्थिति, पंजीकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर उसे प्राधिकृत की गई सीमा तक," अंत:स्थापित किया जाए.

धारा 299 का संशोधन. 29. मूल अधिनियम की धारा 299 में, जहां कहीं भी शब्द "आयुक्त" आया हो, के पश्चात् शब्द तथा अल्पविराम "या, यथास्थिति, पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर उसे प्राधिकृत की गई सीमा तक," अंत:स्थापित किया जाए.

धारा 299-क का संशोधन. 30. मूल अधिनियम की धारा 299-क के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि ऐसे प्रकरणों में जहां अनुज्ञा, पंजीकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई हो, अनुज्ञा को निरस्त या पुनरीक्षित करने की शक्ति इस धारा के अधीन आयुक्त को होगी."

धारा 302 का संशोधन. 31. मूल अधिनियम की धारा 302 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक हजार रुपये" एवं "पचास रुपये" के स्थान पर क्रमश: शब्द "पांच हजार रुपये" तथा "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 308-क का संशोधन. 32. मूल अधिनियम की धारा 308-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"308-क. **अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का शमन किया जाना.—**

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बनाई गई उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल, भवनों का सन्निर्माण

करने के अपराध का शमन कर सकेगा, यदि—

(क) ऐसा सन्निर्माण नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;

(ख) खुले पार्श्व स्थानों में या विहित फर्श क्षेत्र के अनुपात से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण विहित फर्श क्षेत्र अनुपात से दस प्रतिशत से अधिक न हो;

(ग) ऐसा सन्निर्माण राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल के रूप में या पर्यटन महत्व के स्थल के रूप में या पारिस्थितिकी के बिन्दु से संवेदनशील रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(घ) ऐसा सन्निर्माण वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(ङ) ऐसा सन्निर्माण सड़क की सीमाओं के भीतर या सार्वजनिक सड़क के संरेखण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(च) ऐसा सन्निर्माण टैंक्स (तालाबों) के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(छ) ऐसा सन्निर्माण नदी किनारे से तीस मीटर के भीतर या ऐसी और अतिरिक्त दूरी के भीतर नहीं आता है जो मास्टर प्लान क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) ऐसा सन्निर्माण किसी नाले और जल धारा के क्षेत्र के भीतर नहीं आता है:

परंतु प्रकरणों का शमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण के क्षेत्र के संबंध में संबद्ध क्षेत्र के लिए शुल्क कलेक्टर मुद्रांक द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की प्रचलित दर के आधार पर निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा :—

(क) यदि सन्निर्माण, एक सौ वर्ग मीटर के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का दस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवनों/निर्माण के संबंध में विक्रय की दर का पन्द्रह प्रतिशत;

(ख) यदि सन्निर्माण एक सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का बीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत;

(ग) यदि सन्निर्माण दो सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अनधिक के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवनों के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पैंतालीस प्रतिशत;

(घ) यदि सन्निर्माण, तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवनों के संबंध में विक्रय की दर का पचास प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवनों के संबंध में विक्रय की दर का पचहत्तर प्रतिशत :

परंतु यह भी कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसका उस भवन या भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिस पर कि ऐसा सन्निर्माण किया गया है.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत शमन शुल्क केवल अप्राधिकृत सन्निर्माण पर लगेगा, न कि संपूर्ण भवन पर."

धारा 332 का संशोधन. 33. मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (4) में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" एवं "पांच रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर क्रमश: शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" एवं "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 334 का संशोधन. 34. मूल अधिनियम की धारा 334 में, शब्द "दस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 335 का संशोधन. 35. मूल अधिनियम की धारा 335 की उप-धारा (1) में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 336 का संशोधन. 36. (एक) मूल अधिनियम की धारा 336 की उप-धारा (1) में, शब्द "पचास रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) धारा 336 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक सौ रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 340 का संशोधन. 37. मूल अधिनियम की धारा 340 की उप-धारा (1) में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 341 का संशोधन. 38. मूल अधिनियम की धारा 341 में, शब्द "पांच रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 343 का संशोधन. 39. मूल अधिनियम की धारा 343 की उप-धारा (3) में, शब्द "पचास रुपये" एवं "पांच रुपये" के स्थान पर क्रमश: शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 344 का संशोधन. 40. मूल अधिनियम की धारा 344 में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 345 का संशोधन. 41. मूल अधिनियम की धारा 345 में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 346-अ का संशोधन. 42. मूल अधिनियम की धारा 346-अ में, शब्द "पच्चीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 356 का संशोधन. 43. मूल अधिनियम की धारा 356 के खण्ड (आ) में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 357 का संशोधन. 44. मूल अधिनियम की धारा 357 में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 358 का संशोधन. 45. मूल अधिनियम की धारा 358 में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

46. (एक) मूल अधिनियम की धारा 360 की उप-धारा (1) में, शब्द "पचास रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 360 का संशोधन.

(दो) धारा 360 की उप-धारा (3) में, शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) धारा 360 की उप-धारा (5) में, शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

47. मूल अधिनियम की धारा 361 में, शब्द "एक सौ रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 361 का संशोधन.

48. मूल अधिनियम की धारा 362 की उप-धारा (2) में, शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पांच हजार रुपये" एवं "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 362 का संशोधन.

49. मूल अधिनियम की धारा 363 में, शब्द "पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 363 का संशोधन.

50. मूल अधिनियम की धारा 399 में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो" के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 399 का संशोधन.

51. (एक) मूल अधिनियम की धारा 428 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए) में, शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "दस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पांच हजार रुपये" एवं "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 428 का संशोधन.

(दो) धारा 428 की उप-धारा (1) के खण्ड (आ) में, शब्द "दस रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

52. मूल अधिनियम की धारा 433 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 433 का संशोधन.

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा जब सत्र में हो, के पटल पर यथाशीघ्र रखे जाएंगे किन्तु अधिसूचना की तारीख के ठीक आगामी सत्र के अधिसूचित अंतिम दिन के बाद नहीं होगा."

53. मूल अधिनियम की धारा 434 की उप-धारा (2) की विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 434 का संशोधन.

"तालिका

| धारा, उप-धारा या खण्ड | विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख | ऐसा अधिकतम अर्थदंड जो अधिरोपित किया जा सकेगा | ऐसा दैनिक अर्थदंड जो निरंतर प्रकार के अपराध की दशा में अधिरोपित किया जा सकेगा |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| धारा 203 | जल-निकासों के बिना नवीन भवनों का निर्माण न किया जाना. | पांच हजार रुपये | दो सौ रुपये |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| धारा 205 उप-धारा (1) | भूमि के स्वामी द्वारा अन्य व्यक्तियों को उस भूमि में होकर जल-निकास निकालने के लिए अनुज्ञा देना. | पांच सौ रुपये | पचास रुपये |
| धारा 206 | जल-निकास का स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसका उपयोग करने या उसमें संयुक्त स्वामित्व रखने की अनुज्ञा देगा. | पांच सौ रुपये | पचास रुपये |
| धारा 208 | किसी जल-निकास के उपयोग या संयुक्त स्वामित्व के संबंध में आयुक्त की आज्ञा का प्रतिरोध. | पांच सौ रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 209 | संयुक्त रूप से गृहोपान्तों के जल को निकालने के संबंध में आयुक्त का प्रतिरोध. | पांच सौ रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 210 | जल-निकासों की रचना करने में आयुक्त का प्रतिरोध या किसी स्वामी में वेष्ठित जल निकास के किसी भाग को व्यवस्थित न रखना तथा उसकी मरम्मत न करना. | पांच सौ रुपये | पचास रुपये |
| धारा 211 | जल-निकासों की हवा की व्यवस्था के लिए हवा निकलने के साधनों या नलों को लगाने में आयुक्त का प्रतिरोध. | पांच सौ रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 246 | आयुक्त की अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना. | पांच सौ रुपये | पांच सौ रुपये |
| धारा 248 | भयंकर या उद्वेजक वस्तुओं का संग्रह या भयंकर या उद्वेजक व्यापारों का किया जाना. | पांच हजार रुपये | पांच सौ रुपये |
| धारा 254 उप-धारा (1) | आज्ञा के बिना निजी बाजार खुला रखना. | दो हजार पांच सौ रुपये | दो सौ पचास रुपये |
| धारा 254 उप-धारा (2) | अनुज्ञा के बिना निजी बाजार की स्थापना, हटाया जाना, पुनः खोलना, पुनःस्थापना या वृद्धि करना. | पांच हजार रुपये | पांच सौ रुपये |
| धारा 255 | अनुमति पत्र के बिना बाजार के बाहर पशुओं, गोश्त आदि का विक्रय. | एक हजार रुपये | पांच सौ रुपये |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| धारा 257 उप-धारा (3) | नगरपालिक वधशालाओं के बाहर अनुज्ञा के बिना पशुओं का वध. | पांच हजार रुपये | — |
| धारा 259 | मानव खाद्य के लिए अभिप्रेत रोगग्रस्त या अस्वास्थ्यकर पशु या वस्तु का विक्रय. | प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये. | — |
| धारा 260 | ऐसे स्थान पर जहां मक्खन, घी आदि तैयार किया जाता हो, अपमिश्रकों का रखा जाना. | एक हजार रुपये | — |
| धारा 261 | ऐसी विज्ञापित वस्तु का विक्रय आदि जो नियत प्रामाणिक प्रकार की शुद्धता की न हो. | प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये. | — |
| धारा 262 | नकली वस्तुओं का विक्रय आदि. | प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये. | — |
| धारा 267 उप-धारा (3) | हस्तगत किए गए अभिरक्षण में छोड़े गए पशु, खाद्य, पेय, औषध आदि का हटाया जाना, उसके साथ छेड़छाड़ या गड़बड़ करना. | एक हजार रुपये | — |
| धारा 272 | भयंकर रोग के अस्तित्व के संबंध में जानकारी का न दिया जाना. | पांच हजार रुपये | — |
| धारा 289 उप-धारा (1) खण्ड (अ), (आ) तथा (ई) | अनुज्ञा के बिना मुर्दे गाड़ने का निषेध. | पांच हजार रुपये | — |
| धारा 289 उप-धारा (1) खण्ड (इ) | किसी ऐसे अन्य स्थान पर शव का गाड़ा जाना या जलाया जाना जो श्मशान या कब्रिस्तान न हो. | पांच हजार रुपये | — |
| धारा 291 | किसी नगर निर्माण योजना के उल्लंघन में किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण. | पांच हजार रुपये | पांच सौ रुपये |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| धारा 293 | आयुक्त की अनुज्ञा के बिना भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण का निषेध. | पांच हजार रुपये | पांच सौ रुपये |
| धारा 301 उप-धारा (1) | भवन पूरा होने के संबंध में आयुक्त को सूचना-पत्र का दिया जाना. | पांच सौ रुपये | — |
| धारा 301 उप-धारा (4) | आयुक्त की अनुज्ञा के बिना नवीन या पुनर्निर्मित भवन के अधिवास का निषेध. | पांच हजार रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 309 उप-धारा (3) | ऐसे भवन में प्रवेश करना या रहना जो मानव निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है. | पांच हजार रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 310 उप-धारा (1) | नष्टप्राय या भयप्रद स्थिति में होने वाले भवन को हटाने या मरम्मत करने की मांग. | पांच सौ रुपये | पचास रुपये |
| धारा 310 उप-धारा (3) | ऐसे नष्टप्राय या भयप्रद स्थिति में होने वाले भवन में प्रवेश करना या उसमें रहना, जिससे अधिवासी हटा दिए गए हैं. | दो हजार रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 318 उप-धारा (1) | सड़कों आदि पर प्रलम्बनों का निषेध. | दो हजार रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 318 उप-धारा (2) | उनको हटाने की मांग | दो हजार रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 324 | सड़कों या मार्गों आदि पर खुलने वाले पहली मंजिल के दरवाजों आदि में परिवर्तन करने की मांग. | एक हजार रुपये | एक सौ रुपये |
| धारा 325 | सड़कों आदि पर प्रलम्बनों को हटाने की मांग. | दो हजार रुपये | पांच सौ रुपये |
| धारा 328 उप-धारा (1) | आयुक्त की अनुज्ञा के अनुसार के अतिरिक्त अन्यथा निजी सड़क की योजना बनाना. | पांच हजार रुपये | पांच सौ रुपये" |

**धारा 435 का संशोधन.** 54. मूल अधिनियम की धारा 435 में, शब्द "एक हजार रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

**धारा 437 का संशोधन.** 55. मूल अधिनियम की धारा 437 में, शब्द "एक हजार रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

56. मूल अधिनियम की धारा 438 में, शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से अथवा दोनों से" के स्थान पर शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 438 का संशोधन.**

57. मूल अधिनियम की धारा 439 की उप-धारा (1) में, शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से अथवा दोनों से" के स्थान पर शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 439 का संशोधन.**

58. मूल अधिनियम की धारा 440 में, शब्द "पचास रुपये" एवं "बीस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक हजार रुपये" एवं "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 440 का संशोधन.**

59. मूल अधिनियम की धारा 443 के पश्चात्, परिशिष्ट को "अनुसूची-एक" के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाए. **परिशिष्ट का अनुसूची के रूप में पुनःक्रमांकन.**

60. मूल अधिनियम की अनुसूची-एक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **नई अनुसूची का अन्तःस्थापन.**

"अनुसूची-दो

| धारा, उप-धारा या खण्ड<br>(1) | विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख<br>(2) | ऐसा अधिकतम अर्थदण्ड जो अधिरोपित किया जा सकेगा<br>(3) |
|---|---|---|
| धारा 142 उप-धारा (3) | निर्धारण कार्य में जानबूझकर विलंब करना या बाधा डालना. | एक हजार रुपये |
| धारा 165 उप-धारा (2) | कर की देनदारी के संबंध में असत्य जानकारी देना या लोप करना. | पांच हजार रुपये |
| धारा 166 | स्वामी के संबंध में गलत जानकारी देना | पांच हजार रुपये |
| धारा 200 | मलवहन आदि को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बहाना. | पांच सौ रुपये |
| धारा 201 | प्राधिकार के बिना जल निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन. | पांच सौ रुपये |
| धारा 236 उप-धारा (2) | अनुज्ञा के बिना मुख्य केबल, पाइप, निकास आदि से संयोजन करना. | पांच सौ रुपये |
| धारा 257 उप-धारा (5) | अप्राधिकृत स्थान में विक्रय हेतु पशु का वध करना. | दो हजार रुपये |
| धारा 258 उप-धारा (4) | देख-रेख में पशु की मृत्यु की स्थिति में निष्क्रियता. | एक सौ रुपये |
| धारा 272 खण्ड (इ) | भयंकर रोग के संबंध में सूचना देने में विफलता | पांच सौ रुपये |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| धारा 334 | दिशासूचक-स्तंभों, दीप-स्तंभों आदि का नष्ट किया जाना. | एक हजार रुपये |
| धारा 335 उप-धारा (1) | अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना | दो सौ रुपये |
| धारा 336 उप-धारा (1) | अशिष्ट या अश्लील चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु. | एक हजार रुपये |
| धारा 336 उप-धारा (2) | अशिष्ट या अश्लील चित्र प्रदर्शन हेतु सौंपना | एक हजार रुपये |
| धारा 340 उप-धारा (1) | अनुज्ञा के बिना पशुओं का बांधा जाना | दो सौ रुपये |
| धारा 341 | समुचित प्रकाश के बिना वाहन चलाना | पचास रुपये |
| धारा 344 | आग्नेय-अस्त्रों का चलाया जाना | एक हजार रुपये |
| धारा 345 | खदानं खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण. | पांच सौ रुपये |
| धारा 346-अ | नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना. | दो सौ पचास रुपये |
| धारा 356 खण्ड (अ) | मुख्य-बंधनी के बिना कुत्तों को घूमने देना | दो सौ रुपये |
| धारा 357 | हाथियों आदि का नियंत्रण नहीं करना | दो सौ रुपये |
| धारा 358 | घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना | पांच सौ रुपये |
| धारा 360 उप-धारा (1) | भिक्षा मांगना | पांच सौ रुपये |
| धारा 360 उप-धारा (3) | भिक्षा मांगना | एक हजार रुपये |
| धारा 360 उप-धारा (5) | भिक्षा मांगना | एक हजार रुपये |
| धारा 361 | भिक्षावृत्ति करवाना | एक हजार रुपये |
| धारा 363 | अवैध रूप से व्यभिचार गृह का संचालन | पांच सौ रुपये |
| धारा 399 | अधिनियम के प्रवर्तन का अधिवासी द्वारा विरोध | पांच सौ रुपये |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| धारा 428 उप-धारा (1) खण्ड (आ) | उपविधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति | एक सौ रुपये |
| धारा 435 | कतिपय अपराधों के लिए दण्ड | पांच हजार रुपये |
| धारा 437 | शक्तियों के प्रयोग करने में बाधा पहुंचाने हेतु शास्ति. | पांच हजार रुपये |

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्रमांक 6643/डी. 175/21-अ/प्रारू./छ.ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. एल. चरयाणी,** अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2012)

## CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2012

**An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows :—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Section 5.**

2. (i) In Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) (hereinafter referred to as the Principal Act), existing sub-section (18-a) shall be renumbered as "(18-b)".

(ii) After sub-section (18) of Section 5 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—
"(18-a) 'Director' means the Director of Urban Administration and Development, appointed by the State Government;"

(iii) After sub-section (19) of Section 5, the following shall be inserted, namely :—
"(19-a) "Divisional Commissioner" means the Divisional Commissioner appointed by the State Government under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)."

(iv) After sub-section (49) of Section 5, the following shall be inserted, namely :—
"(49-a) "Registered Architect/Structural Engineer/Engineer" means the same as defined in Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, framed under the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);"

(v) After sub-section (54-a) of Section 5, the following shall be inserted, namely :—
"(54-b) "Social Audit" means the review of the impact of policies, programmes, schemes or procedures adopted or implemented by any municipal authority, by a group or groups of persons residing within the municipal area within which such review is conducted:"

(vi) After sub-section (57) of Section 5, the following shall be inserted, namely :—
"(57-a) "User Charges" means the charges imposed under Section 132-A for services rendered or are proposed to be rendered by the Corporation;"

**Amendment of Section 19.**

3. After clause (a) of sub-section (1) of Section 19 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—
"(a-1) if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserve, or;"

4. In sub-section (1) of Section 19-B of the Principal Act, for the words "or the rules made thereunder" the words "or the rules made thereunder or if it is found that the Mayor does not belong to the reserved category for which the seat was reserved," shall be substituted. **Amendment of Section 19-B.**

5. In Section 25-B of the Principal Act, for the word "Remuneration" the word "Honorarium" shall be substituted. **Amendment of Section 25-B.**

6. (i) For sub-section (2) of Section 29 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 29.**

"(2) The date of every meeting except the meeting referred to in Section 18 and 23-A, shall be fixed by the Speaker with the consent of the Mayor or in the event of his being incapable of acting, by the Mayor :

Provided that if the date of the meeing is not fixed by the Speaker or the Mayor, as the case may be, the Divisional Commissioner shall fix the date of the meeing under intimation to the State Government."

(ii) After sub-section (4) of Section 29, the following shall be inserted, namely:—

"(5) The process of preparing the agenda for the meeting shall be as may be prescribed by the State Government."

7. For Section 53 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 53.**

"53. **Minutes of the meeting,**—Minutes of the proceedings of every Meeting of the Corporation, Mayor-in-Council or any committee shall be recorded in such manner as may be prescribed."

8. In sub-section (6) of Section 60 of the Principal Act, for the words "the State Public Service Commission" wherever they occur the words "the Divisional Commissioner" shall be substituted. **Amendment of Section 60.**

9. In sub-section (1) of Section 68 of the Principal Act, for the word "Schedule" the word and figure "Schedule-I" shall be substituted. **Amendment of Section 68.**

10. After Section 130-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— **Insertion of Section 130-C.**

"**130-C. Social Audit,**—Notwithstanding anything contained in this Act, the Municipal Corporation shall arrange for Social Audit in such manner as may be prescribed by the State Government."

11. After Section 132 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— **Insertion of Section 132-A.**

"**132-A. Imposition of User Charges.**—

(1) Nothwithstanding anything contained in Section 132, the Corporation shall, subject to any general or special order which the State Government may make in this regard, levy user charges for the services mentioned in sub-section (2) in the following circumstances, namely :—

(a) When it introduces a new system or project for improved service delivery;

(b) when a service is improved in terms of service levels.

(2) The user charges under sub-section (1) may be levied on one or more of the following services, namely :—

(a) water supply;

(b) drainage or sewerage disposal and/or treatment.

(c) door-to-door collection of solid waste, and/or scientific system for disposal of municipal waste;

(d) any other new service rendered by the Corporation.

(3) User charges may be levied on the municipal area or any part thereof as may be specified by the Corporation on specific areas of the city where the service referred to under sub-section (1) is provided."

**Amendment of Section 134.**

12. In clause (6) of Section 134 of the Principal Act, after the words "of rent due in respect of the property" the words "and/or attachment and sale of his movable and/or immovable property;" shall be added.

**Amendment of Section 136.**

13. (i) For clause (b) and proviso of Section 136 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(b) all kutcha dwelling units having country tile (Kawely) roof and measuring not more than 500 square feet and all buildings and lands belonging to or occupied by the urban poor as may be exempted by the State Government through notification."

(ii) For clause (c) of Section 136, the following shall be substituted, namely :—

"(c) educational institutions of Government of India, State Government, Municipal Corporations, registered Charitable Trusts, educational institutions registered under Section 12A of the Income Tax Act, 1961, shall be wholly exempted and other educational institutions may be given a rebate of up to fifty percent of the property tax as assesed by the Corporation in accordance with norms that may be prescribed by the State Government."

(iii) For clause (f) of Section 136, the following shall be substituted, namely :—

"(f) buildings and lands owned by widows or minors or persons with disability as defined under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), to the extent as may be prescribed."

(iv) For clause (h) of Section 136, the following shall be substituted, namely :—

"(h) buildings and lands owned by blind persons and abandoned women, to the extent as may be prescribed."

(v) Clause (j) of Section 136, of the Principal Act shall be omitted.

**Amendment of Section 137.**

14. For Section 137 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

**"137. Discount on Property Tax.—**

(1) Notwithstanding anything contained in sections 135 and 136 of this Act, the Corporation shall have power to grant such discount on Property Tax as it may deem fit, and the State Government may prescribe, taking into consideration the financial condition of a Corporation, a ceiling on the maximum discount that may be granted by such Corporation."

**Amendment of Section 138.**

15. (i) In sub-section (1) of Section 138 of the Principal Act, for the words "on the basis of per square foot of the carpet area" the words "on the basis of per square meter of the built-up-area" shall be substituted.

(ii) After sub-section (1) of Section 138, the following shall be inserted, namely :—

"(1-a) The draft resolution mentioned in sub-section (1) shall be prepared and submitted by the Commissioner for the financial year next on or before 31st December of each financial year, and in case the Corporation fails to adopt the resolution by the last day of February of that financial year, the resolution shall be approved by the

Mayor and shall be deemed to be the resolution finally adopted by the Corporation :

Provided that if the Mayor does not approve the draft resolution prepared by the Commissioner by 31st March of a financial year, then the draft resolution as prepared by the Commissioner shall be deemed to be the resolution finally adopted by the Corporation."

(iii) After sub-section (2) of Section 138, the following shall be inserted, namely :—

"(2-a) If the self-assessment statement is not submitted by a person liable to submit it before 31st March, a penalty of one thousand rupees shall be imposed for the lapse."

(iv) For sub-section (3) of Section 138, the following shall be substituted, namely :—

"(3) The variation upto ten percent on lower side in the assessment made under sub-section (2) shall be ignored for the purpose of penalty, provided the assessee pays the amount of short-payment within two weeks of the assessment order with surcharge at the rate of two percent for every month between the date when the tax was due and the date of deposit of the amount of variation, and in cases where the variation is more than ten percent, the owner of the land and/or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to five times the difference of self-assessment made by him and the assessment made by the Corporation, apart from surcharge at the rate of two percent for every month between the date when the tax was due and the date of deposit of the amount of variation."

(v) For sub-section (4) of Section 138, the following shall be substituted, namely :—

"(4) An appeal against the order passed under sub-section (3) shall lie to the Mayor-in Council :

Provided that no appeal under this sub-section shall be admitted unless accompanied by proof of payment under protest of the amount demanded in the order under sub-section (3)."

16. In sub-section (3) of Section 142 of the Principal Act, for the words "not exceeding one hundred rupees" the words "according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 142.**

17. In sub-section (2) of section 165 of the Principal Act, for the words "may extend to one hundred rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 165.**

18. In Section 166 of the Principal Act, for the words "may extend to one hundred rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 166.**

19. In sub-section (2) of Section 199 of the Principal Act, for the words "fifty rupees" and "five rupees" the words "five hundred rupees" and "fifty rupees" shall be substituted respectively. **Amendment of Section 199.**

20. In Section 200 of the Principal Act, for the words "may extend to twenty rupees the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 200.**

**Amendment of Section 201.** 21. In Section 201 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 236.** 22. In sub-section (2) of Section 236 of the Principal Act, for the words "not exceeding fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 252.** 23. In sub-section (2) of Section 252 of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" and "fifty rupees" the words "two thousand rupees" and "two hundred rupees" shall be substituted respe. tively.

**Amendment of Section 257.** 24. In sub-section (5) of Section 257 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 258.** 25. In sub-section (4) of Section 258 of the Principal Act, for the words "may extend to ten rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 272.** 26. In cluase (c) of Section 272 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 294.** 27. After sub-section (4) of Section 294 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"(5) Within the limits prescribed for them, the powers of the Commissioner under this Section may be exercised by Registered Architect/Structural Engineer/Engineer registered with the Corporation for this purpose."

**Amendment of Section 297.** 28. In Section 297 of the Principal Act, after the word "Commissioner" wherever it occurs, the words and comma "or, as the case may be, a Registered Architect/ Structural Engineer/Engineer to the extent he has been authorized," shall be inserted.

**Amendment of Section 299.** 29. In Section 299 of the Principal Act, after the word "Commissioner" wherever it occurs, the words and comma "or, as the case may be, a Registered Architect/ Structural Engineer/Engineer to the extent he has been authorized," shall be inserted.

**Amendment of Section 299-A.** 30. After proviso to Section 299-A of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :—

"*Provided* further that in such cases where the permission was granted by a Registered Architect/Structural Engineer/Engineer, the power to cancel or to revise the permission under this Section shall lie with the Commissioner."

**Amendment of Section 302.** 31. In sub-section (2) of Section 302 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees" and "fifty rupees" the words "five thousand rupees" and "two hundred rupees" shall be substituted respectively.

**Amendment of Section 308-A.** 32. For Section 308-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

**"308-A. Compounding of offences of construction of buildings without permission.—**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act, for the time being in force or any rules or bye-laws made thereunder, the Commissioner may compound the offence of constructing buildings without permission or contrary to the permission granted if—

(a) such construction does not affect the regular building line;

(b) the unauthorized construction made in the marginal open spaces or in excess of the prescribed floor area ratio does not exceed ten percent of the prescribed floor area ratio;

(c) such construction does not come within the area notified by the State Government as a hill station or as a place of tourist importance or as sensitive from the point of ecology;

(d) such construction does not come within the area specified for parking of vehicles;

(e) such construction does not come within the boundary of roads or within the area affecting alignment of public roads;

(f) such construction does not come within the area specified for Tanks (*talab*);

(g) such construction does not come within thirty meters or such further distance from the river bank as may be specified in the master plan area;

(h) such construction does not come within the area of any *nullah* and water stream :

Provided that in compounding the cases, fees shall be charged, as under in respect of the area of unauthorized construction on the basis of the current rate of sale of land determined by the Collector of Stamps for the area concerned :—

(a) if the construction relates to a plot of one hundred square meter, ten percent of the rate of sale in respect of residential buildings and fifteen percent of the rate of sale in respect of non-residential houses/buildings;

(b) if the construction relates to a plot exceeding one hundred square meter, but does not exceed two hundred square meter, twenty percent of the rate of sale in respect of residential buildings and thirty percent of the rate of sale in respect of non-residential buildings ;

(c) if the construction relates to a plot exceeding two hundred square meter but does not exceed three hundred fifty square meter, thirty percent of the rate of sale in respect of residential buildings and forty five percent of rate of sale in respect of non-residential buildings;

(d) if the construction relates to a plot exceeding three hundred fifty square meter, fifty percent of the rate of sale, in respect of residential building and seventy-five percent of the rate of sale, in respect of non-residential buildings:

Provided also that nothing contained in this section shall apply to any person who does not have any right over the building or the land on which such construction has been made.

(2) The compounding fee under sub-section (1) shall be charged on the unauthorized construction and not on the entire building."

Amendment of Section 332.

33. In sub-section (4) of Section 332 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" and "may extend to five rupees" the words "shall be according to Scheule-II" and "shall be according to Schedule-II" shall be substituted respectively.

Amendment of Section 334.

34. In the Section 334 of the Principal Act, for the words "may extend to ten rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 335.

35. In sub-section (1) of Section 335 of the Principal Act, for the words "may extend to twenty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 336.

36 (i) In sub-section (1) of Section 336 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

(ii) In sub-section (2) of Section 336, for the words "may extend to one hundred rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 340.

37. In sub-section (1) of Section 340 of the Principal Act, for the words "may extend to twenty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 341.

38. In Section 341 of the Principal Act, for the words "may extend to five rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 343.

39. In sub-section (3) of Section 343 of the Principal Act, for the words "fifty rupees" and "five rupees" the words "five hundred rupees" and "fifty rupees" shall be substituted respectively.

Amendment of Section 344.

40. In Section 344 of the Principal Act, for the words "may extend to twenty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 345.

41. In Section 345 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 346-A.

42. In Section 346-A of the Principal Act, for the words "may extend to twenty five rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 356.

43. In clause (b) of Section 356 of the Principal Act, for the words "may extend to twenty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 357.

44. In Section 357 of the Principal Act, for the words "may extend to twenty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 358.

45. In Section 358 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

Amendment of Section 360.

46. (i) In sub-section (1) of Section 360 of the Principal Act, for the words "not exceeding of fifty rupees" the words "which shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

(ii) In sub-section (3) of Section 360, for the words "may extend to one hundred rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

(iii) In sub-section (5) of Section 360, for the words "may extend to one hundred rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

47. In Section 361 of the Principal Act, for the words "not exceeding one hundred rupees" the words "which shall be according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 361.**

48. In sub-section (2) of Section 362 of the Principal Act, for the words "five hundred rupees" and "fifty rupees" the words "five thousand rupees" and "five hundred rupees" shall be substituted respectively. **Amendment of Section 362.**

49. In Section 363 of the Principal Act, for the words "not exceeding twenty-five rupees" the words "which shall be according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 363.**

50. In Section 399 of the Principal Act, for the words "may extend to fifty rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted. **Amendment of Section 399.**

51. (i) In clause (a) of sub-section (1) of Section 428 of the Principal Act, for the words "five hundred rupees" and "ten rupees" the words "five thousand rupees" and "one hundred rupees" shall be substituted respectively. **Amendment of Section 428.**

(ii) In clause (b) of sub-section (1) of Section 428 for the words "may extend to ten rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

52. After sub-section (2) of Section 433 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 433.**

"(3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembely as soon as possible while it is in Session, but not later than the last scheduled day of the Session next, following the date of notification."

53. For the existing table of sub-section (2) of Section 434 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 434.**

"TABLE

| Section, sub-section or clause | Brief reference to subject matter | Maximum fine which may be imposed | Daily fine which may be imposed when the offence is a continuing one |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Section 203 | New building not be erected without drains. | Five thousand rupees | Two hundred rupees |
| Section 205 sub-section (1) | Owner of land to allow other to carry drains through the land. | Five hundred rupees | Fifty rupees |
| Section 206 | Owner of drain to allow use thereof or joint ownership therein to others. | Five hundred rupees | Fifty rupees |
| Section 208 | Resistance to order of the Commissioner regarding use of joint ownership of a drain. | Five hundred rupees | One hundred rupees |
| Section 209 | Resistance to Commissioner draining premises in combination. | Five hundred rupees | One hundred rupees |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| Section 210 | Resistance to the Commissioner constructing drains of failure to maintain and keep in repair portion of a drain vesting in an owner. | Five hundred rupees | Fifty rupees |
| Section 211 | Resistance to the Commissioner affixing shafts or pipes for ventilation of drains. | Five hundred rupees | One hundred rupees |
| Section 246 | Establishment of factory etc. without permission of the Commissioner. | Five hundred rupees | Five hundred rupees |
| Section 248 | Storing dangerous or offensive articles or carrying on dangerous or offensive trades. | Five thousand rupees | Five hundred rupees |
| Section 254 sub-section (1) | Keeping open a private market without permission. | Two thousand five hundred rupees. | Two hundred fifty rupees. |
| Section 254 sub-section (2) | Establishment, removal, opening, re-establishment or enlarging of private market without permission. | Five thousand rupees | Five hundred rupees |
| Section 255 | Selling animals, meat etc. outside market without a licence. | One thousand rupees | Five hundred rupees |
| Section 257 sub-section (3) | Slaughter of animals without permission outside municipal slaughter house. | Five thousand rupees | — |
| Section 259 | Sale of diseased or unwholesome animals or articles intended for human food. | One thousand rupees for a first offence and five thousand rupees for any subsequent offence. | — |
| Section 260 | Keeping adulterants in place where butter, ghee, etc. are manufactured. | One thousand rupees | — |
| Section 261 | Sale, etc. of notified article which is not of prescribed standard of purity. | One thousand rupees for a first offence and five thousand rupees for any subsequent offence. | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| Section 262 | Sale, etc. of substitutes | One thousand rupees for a first offence and five thousand rupees for any subsequent offence. | — |
| Section 267 sub-section (3) | Removing, interfering or tampering with animal, food, drink, drug etc. seized and left in custody. | One thousand rupees | — |
| Section 272 | Failure to give information of existence of dangerous diseases. | Five thousand rupees | — |
| Section 289 sub-section (1), clauses (a), (b) and (d) | Prohibition of burials etc. without permission. | Five thousand rupees | — |
| Section 289 sub-section (1) clause (c) | Burial or burning of any corpse at any other place which is not a burial or burning ground. | Five thousand rupees | — |
| Section 291 | Erection or re-erection of building in contravention of a town planning scheme. | Five thousand rupees | Five hundred rupees |
| Section 293 | Prohibition of erection or re-erection of buildings without permission of the Commissioner. | Five thousand rupees | Five hundred rupees |
| Section 301 sub-section (1) | Notice to be given to the Commissioner on completion of building. | Five hundred rupees | — |
| Section 301 sub-section (4) | Prohibition of occupation of new or re-erected building without permission of the Commissioner. | Five thousand rupees | One hundred rupees |
| Section 309 sub-section (3) | Entering into or remaining in a building which has been declared unfit for human habitation. | Five thousand rupees | One hundred rupees |
| Section 310 sub-section (1) | Requisition to remove or repair building in ruinous or dangerous state. | Five hundred rupees | Fifty rupees |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| Section 310 sub-section (3) | Entering into or remaining in ruinous or dangerous building from which occupants have been removed. | Two thousand rupees | One hundred rupees |
| Section 318 sub-section (1) | Prohibition of projections upon streets etc. | Two thousand rupees | One hundred rupees |
| Section 318 sub-section (2) | Requisition to remove the same. | Two thousand rupees | One hundred rupees |
| Section 324 | Requisition to alter ground floor doors, etc. opening on roads, or streets etc. | One thousand rupees | One hundred rupees |
| Section 325 | Requisition to remove projections upon streets etc. | Two thousand rupees | Five hundred rupees |
| Section 328 sub-section (1) | Laying out of private streets otherwise than in accordance with the permission of the Commissioner. | Five thousand rupees | Five hundred rupees" |

**Amendment of Section 435.**

54. In Section 435 of the Principal Act, for the words "may extend to one thousand rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 437.**

55. In Section 437 of the Principal Act, for the words "may extend to one thousand rupees" the words "shall be according to Schedule-II" shall be substituted.

**Amendment of Section 438.**

56. In Section 438 of the Principal Act, for the words "or with fine or with both" the words "or with fine which may extend to one thousand rupees or with both." shall be substituted.

**Amendment of Section 439.**

57. In sub-section (1) of Section 439 of the Principal Act, for the words "or with fine, or with both" the words "or with fine which may extend to one thousand rupees or with both." shall be substituted.

**Amendment of Section 440.**

58. In Section 440 of the Principal Act, for the words "fifty rupees" and "twenty rupees" the words "one thousand rupees" and "two hunnred rupees" shall be substituted respectively.

**Re-numbering of Schedule.**

59. The Schedule after Section 443 of the Principal Act shall be re-numbered as "Schedule-I".

**Insertion of new Schedule.**

60. After Schedule-I of the Prnicipal Act, the following shall be inserted, nanely :—

"SCHEDULE-II

| Section, Sub-section or clause (1) | Brief reference to subject matter (2) | Maximum fine which may be imposed (3) |
|---|---|---|
| Section 142 sub-section (3) | Willful delay or obstruction in assessment work. | One thousand rupees |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Section 165 sub-section (2) | Omission or furnishing of wrong information regarding tax liability. | Five thousand rupees |
| Section 166 | Furnishing wrong information regarding owner. | Five thousand rupees |
| Section 200 | Discharging sewage etc. upon street or public place. | Five hundred rupees |
| Section 201 | Making or altering drains without authority. | Five hundred rupees |
| Section 236 sub-section (2) | Taking connection with main cable, pipe, drain etc. without permission. | Five hundred rupees |
| Section 257 sub-section (5) | Slaughter of animal for sale in unauthorized place. | Two thousand rupees |
| Section 258 sub-section (4) | Inaction in case of death of animal in one's charge. | One hundred rupees |
| Section 272 clause (c) | Failure to give information regarding dangerous disease. | Five hundred rupees |
| Section 334 | Destruction of direction posts, lamp post etc. | One thousand rupees |
| Section 335 sub-section (1) | Sticking of Bills without permission | Two hundred rupees |
| Section 336 sub-section (1) | Indecent or obscene pictures or printed or written matter. | One thousand rupees |
| Section 336 sub-section (2) | Delivering of Indecent or obscence pictures or printed or written matter for exhibition. | One thousand rupees |
| Section 340 sub-section (1) | Picketing animals without permission | Two hundred rupees |
| Section 341 | Driving vehicles without proper light | Fifty rupees |
| Section 344 | Discharging fire-arms | One thousand rupees |
| Section 345 | Quarrying, blasting, cutting timber or building. | Five hundred rupees |
| Section 346-A | Spitting in any place other than drain or receptacle. | Two hundered fifty rupees. |
| Section 356 clause (b) | Allowing dogs to be at large without muzzle. | Two hundred rupees |
| Section 357 | Failure to control elephants | Two hundred rupees |
| Section 358 | Letting loose horse or other animals | Five hundred rupees |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Section 360 sub-section (1) | Soliciting alms | Five hundred rupees |
| Section 360 sub-section (3) | Soliciting alms | One thousand rupees |
| Section 360 sub-section (5) | Soliciting alms | One thousand rupees |
| Section 361 | Importing Baggar | One thousand rupees |
| Section 363 | Illegal operation of Brothels | Five hundred rupees |
| Section 399 | Occupier opposes execution of the Act. | Five hundred rupees |
| Section 428 sub-section (1) clause (b) | Penalties for breach of Byelaws | One hundred rupees |
| Section 435 | Punishment for certain offences | One thousand rupees |
| Section 437 | Penalty for obstruction in exercise of powers. | Five thousand rupees |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.